न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील/टीए/95/2004/चुरू

1– श्रीमती तीजा बैवा डालूराम
2– रामेश्वर
3– हरिराम
4– ईसरराम | पिसरान डालूराम
5– नानूराम
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला चुरू।

–अपीलांट्स

बनाम

मोहनराम पुत्र डालूराम (मृतक) जरिये वारिसानः–
1– मांगीलाल
2– प्रभूराम
3– मेघाराम | पिसरान मोहनराम जाट निवासी ग्राम बाना तहसील
4– जगदीश | श्रीडूंगरगढ़ जिला चुरू।
5– मामराज पुत्र डालूराम
6– श्रीमती बाधु बैवा उमाराम
7– गोपालराम पुत्र उमाराम
समस्त जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला चुरू।
8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला चुरू।

–रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–

1. श्री जुगल किशोर पन्त, अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री एन.के. गोयल, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4,
3. श्री एस.एन.बेनीवाल, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक
रेस्पोडेंट संख्या 5 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक–29–10–2024

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत् राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–9–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादीगण द्वारा रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत् बंटवारा ग्राम सालासर में स्थित आराजी खसरा नंबर 276 रकबा 78 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 277 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा एवं ग्राम बाना में स्थित आराजी खसरा नंबर 77 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 187 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 214 रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 282 रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 230 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 238 रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा बाबत् प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा में वाद–पत्र के कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का कब्जे के अनुसार व बाहमी विभाजन जो पारिवारिक रूप से किया हुआ है, के मुताबिक कर विभाजन डिक्री किया जाकर वाद–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

1– आया वादीगण वादगत खेत खसरा नंबर 276 रकबा 78 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 277 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा रोही सालासर, खसरा नंबर 77 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 187 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 214 रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 282 रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 238 रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा वाके रोही बाना कुल तादादी 258 बीघा 11 बिस्वा का विभाजन कर वादीगण संख्या 1 ता 4 के हिस्सा व कब्जा काश्त में खसरा नंबर 277 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 276 तीन के दक्षिणी ओर भी 7 बीघा 18 बिस्वा रोही सालासर व खसरा नंबर 77 रकबा 30 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 187 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 282 रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा रोही बाना तथा वादी संख्या 5 नानूराम के हिस्सा में खेत खसरा नंबर 276 मीन की 32 बीघा 10 बिस्वा उतरी ओर की रोही सालासर की भूमि आई हुई है, जिसकी खातेदारी व लगान अलग–अलग कराने के अधिकारी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की खातेदारी दावा की मद संख्या 3 के अनुसार खातेदारी व लगान अलग–अलग कराने के अधिकारी हैं। –वादीगण

2– अनुतोष

दावे, जवाबदावे एवं तनकीयात के आधार पर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 28–5–1999 द्वारा ग्राम सालासर

तहसील डूंगरगढ़ के आराजी खसरा नंबर 276 रकबा 78 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 277 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा एवं ग्राम बाना में स्थित आराजी खसरा नंबर 77 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 187 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 214 रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 282 रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 230 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 238 रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा में वादीगण संख्या 1 ता 5 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि में 1/8 भूमि के व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बाधू व गोपालराम दोनों समरूप से 1/8 भूमि के हिस्सेदार है व 1/8, 1/8 भूमि के विभाजन कराने के अधिकारी है। तद्नुसार वाद अपीलांट्स/वादीगण के पक्ष प्राथमिक डिक्री कर दिया गया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–1999 के विरूद्ध रेस्पोडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–9–2003 द्वारा रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–1999 निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ को प्रतिप्रेषित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2003 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्राथमिक डिक्री में अदालत द्वारा खातेदारों का हिस्सा तय किया जाता है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी का 1/8 हिस्सा तय कर दिया, इससे अधिक हिस्सा रेस्पोडेंट का भूमि में नहीं बनता है। इस प्रकार ग्राम सालासर की भूमि खसरा नंबर 276 व 277 की कुल 113 बीघा 16 बिस्वा एवं ग्राम बाना की भूमि खसरा नंबर 77, 187, 214, 242, 230, 238 कुल किता 6 कुल रकबा 144 बीघा 15 बिस्वा भूमि है, जिसमें से 1/8 हिस्सा करने पर प्रत्येक के 32 बीघा 4 बिस्वा भूमि करीब आती है। उनका यह भी कथन है कि प्रतिवादी मोहनराम ने अपने जवाबदावा में सालासर व ग्राम बाना की भूमि में अपना 1/8 हिस्सा होना स्वीकार किया है। इस कारण कानूनन वह अपने एडमिशन से बाध्य है। अतः इससे अधिक भूमि नहीं ले सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एकतरफा में नहीं था, क्योंकि रेस्पोडेण्ट संख्या

1 द्वारा जबावदावा दिया था, जिसमें उसने स्वयं ने 1/8 हिस्सा स्वीकार किया है। शेष प्रतिवादीगण का इकबाली जबावदावा था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि एकतरफा आदेश पारित किया है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत था, लेकिन अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–9–2003 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–5–1999 बहाल रखा जावे।

5– रेस्पोडेंट के योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 28–5–1999 पारित किया है, वह कोई विशिष्ट आदेश नहीं है। क्योंकि उसमें कोई खसरा नंबर आदि नहीं खोले गए हैं। 1/8 वां हिस्सा कौनसा है, यह भी आदेश में नहीं बताया गया है। दावा का निर्णय करते समय तनकी भी कायम नहीं की गई है। संवत् 2016 से वे काबिज हैं और पारिवारिक बंटवारा भी हो चुका है। विचारण न्यायालय ने एक तरफा में आदेश पारित किया था, जिसमें विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किए गए। बिना विभाजन प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आधार पर हिस्सा निर्धारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं था। इसलिए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया है। इसलिए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट/वादीगण द्वारा रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत् बंटवारा ग्राम सालासर में स्थित आराजी खसरा नंबर 276 रकबा 78 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 277 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा एवं ग्राम बाना में स्थित आराजी खसरा नंबर 77 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 187 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 214 रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 282 रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 230 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 238 रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा बाबत् प्रस्तुत किया गया। उक्त विवादित भूमि का खातेदार डालूराम था जिसके परिवार में श्रीमति तीजा बेवा, मोहनराम, नानूराम, रामेश्वर,

मामराज, हरीराम, ईशरराम , उमाराम पुत्रगण थे । इस प्रकार परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 8 थी एवं वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक का 1/8 हिस्सा था एवं परिवार में नानूराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अलग अलग है । भूमि का विभाजन नहीं होने से संयुक्त खाते में होने से पक्षकारों में विवाद है। अतः उक्त विवादित भूमि का विभाजन किये जाने की इस्तदुआ की। उक्त दावे का जबावदावे में रेस्पोडेण्ट सं0 7/प्रतिवादी संख्या 4 गोपालराम पुत्र उमाराम की ओर से इकबाली जबावदावा प्रस्तुत किया । रेस्पोडेण्ट संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 मोहनराम द्वारा उक्त दावे का जबावदावा में प्रत्येक का 1/8 हिस्सा होना स्वीकार कर विभाजन वाहमी बंटवारे के आधार पर डिक्री जारी करने हेतु प्रस्तुत किया । उक्त दावे व जबावदावे के आधार पर दो तनकियात कायम की गई । जमाबन्दी संवत 2051 में ग्राम सालासर में स्थित आराजी खसरा नंबर 276 रकबा 78 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 277 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा पर मोहनलाल, नानूराम, रामेश्वर, मामराज, हरीराम, ईशरराम, पि0 डालू बहि0व 3/4 हि0 गोपाल वल्द उमाराम व मु0 बाधु बेवा उमाराम 1/8 हि0 मु0 तीजा बेवा डालू 1/8 हि0 कौम जाट सा0 बाना खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2052 में ग्राम बाना में स्थित आराजी खसरा नंबर 77 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 187 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 214 रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 282 रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 230 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 238 रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा पर मोहनराम, नानूराम, रामेश्वरदास, मामराज, हरीराम, ईसरराम पि. डालू ब0हि0ब 3/4, हि0 गोपाल वल्द उमा, मु0 बाधू बेवा उमा 1/8 हि0 व तीजा बेवा डालू 1/8 हि0 कौम जाट सा0 देह खातदेार दर्ज है । विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष की बहस सुनकर दावे, जबावदावे व तनकियात के आधार पर दिनांक 28–5–99 को अपीलाण्ट/वादी का वाद डिक्री कर प्राथमिक डिक्री जारी की । उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडण्ेट संख्या 1 मोहनराम द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील किए जाने पर उन्होंने राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित कर प्रकरण पुनः विवादित भूमि की मौके की स्थिति अनुसार सहकाश्तकारों के हिस्सों का पुनः निर्धारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। यहॉ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि, विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किया था जबकि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया। जबकि अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व था कि वे परीक्षण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी पर पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण कर निर्णय पारित करते लेकिन अपीलीय न्यायालय

द्वारा भी अपने निर्णय में विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गयी तनकीयों पर पूर्ण जांच एवं परीक्षण किए तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया । इस सम्बन्ध में हम आदेश 41 नियम 31 का उल्लेख करना उचित समझते है, जो निम्नानुसार है –

Order 41 Rule 31- Contents, date and signature of judgment - The judgment of the Appellate Court shall be in writing and shall state -

(a) the points for determination;
(b) the decision thereon;
(c) the reasons for the decision; and
(d) where the decree appealed from is reversed or varied, the relief to which the appellant is entitled;
and shall at the time it is pronounced be signed and dated by the Judge or by the Judges concurring therein."

8– उक्त प्रावधानानुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व है कि वे निर्णय पारित करते समय विवाद बिन्दुओं पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करें। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा जिस प्रकार निर्णय पारित किया गया है, वह उक्तानुसार वर्णित सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है । जहाँ तक अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित किए जाने का है, इस बाबत् तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् अंतिम डिक्री पारित करते समय ये तथ्य अवलोकनीय होते हैं जबकि हस्तगत प्रकरण में केवल प्राथमिक डिक्री ही जारी की गई थी। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय का उक्त निष्कर्ष यहां पुष्टि योग्य नहीं है । अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

9– उक्त विवेचन, विधिक प्रावधानों तथा न्यायिक निर्णयों के आलोक में यह अपील स्वीकार की जाती है और राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का निर्णय दिनांक 30–9–2003 निरस्त किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ का निर्णय दिनांक 28–5–1999 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(**डॉ. श्रवणकुमार बुनकर**) (**हेमन्त कुमार गेरा**)

सदस्य **अध्यक्ष**